मोबाईल नंब

अधिवक्

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम लक्ष्मणगढ

रसीद बनाम असरी वगै0.............................

प्रा0 पत्र 212 आर0टी0एक्ट0 (स्थगन प्रा0 पत्र).............

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो जारी हुआ
29.07.2021	आज यह प्रार्थना पत्र 212 आर0टी0एक्ट वकील सायल द्वारा उपस्थित न्यायालय होकर मूल वाद के साथ पेश किया, कार्यालय रिपोर्ट ली गई। सायल ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र, जमाबंदी संवत् 2069–2075 व अन्य दस्तावेजात की फोटो प्रति पेश कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन किया। हमने अधिवक्ता सायल की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के साथ पेश दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है । अतः गैरसायलान को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से आगामी तारीख पेशी दिनांक 15.09.2021 तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0नं0 हाल 1081/727 तरफ पूर्व, 726 वाके ग्राम भैंसडावत तह0 गोविन्दगढ व ख0नं0 143,147 वाके ग्राम पथरोडा तह0 गोविन्दगढ ख0नं0 713,714 वाके ग्राम भैंसडावत तहसील गोविन्दगढ में सायल के हिस्से तक राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें । यदि उक्त आदेश की पालना में कोई ऐतराज हो तो नियत दिनांक 15.09.2021 को उपस्थित न्यायालय होकर जाहिर करे कि क्यों ना उक्त आदेश ताफैसला दावा संपुष्ट कर दिया जावे ? पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। गैरसायलान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब कर दिनांक 15.09.2021 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, अलवर	

15.9.21 आज यह पत्रावली पेश हुई। वकुलाए फरीकेन उपस्थित/श्रीमान P.O. सा. भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली दि. 29-11-21 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
09.10.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20.11.24 को पेश हो। रीडर
20.11.24	पत्रावली पेश। P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 28.11.24 को पेश हो। रीडर
28.11.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील व उनके प्रार्थी को न्यायालय द्वारा बार-बार आवाज लगवायी गई। इसके बावजूद वकील व उनके प्रार्थी अनुपस्थित। अत: प्रार्थना पत्र -212 RTA वकील व उनके प्रार्थी की अदम पैरवी - अदम हाजिरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया। उपखण्ड अधिकारी गोविन्दगढ़ (अलवर) राज०